परिशिष्ट : ए

न्यायालय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम–सह–विशेष न्यायाधीश, हाजीपुर, वैशाली।

उपस्थित : मनोज कुमार तिवारी,
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम–सह–विशेष न्यायाधीश
निर्णय की तिथिः–05.06.2026
सत्र वाद संख्या : 127 / 2018
बिदुपुर थाना कांड सं0–41 / 2010
CNR- BRVA01-003075-2018

Web Copy not Official

अभियोजन की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक	श्री ख्वाजा हसन खां
अभियुक्तगण	1–उमा शंकर कुमार सिंह पे0–नरेश सिंह उर्फ रामनरेश सिंह 2–हरे राम सिंह, पे0– नरेश सिंह उर्फ रामनरेश सिंह 3–नरेश सिंह उर्फ रामनरेश सिंह, पे0–स्व0 अलख नारायण सिंह 4–शांति देवी, पे0–स्व0 अलख नारायण सिंह 5–बेबी देवी, पे0–नरेश सिंह उर्फ रामनरेश सिंह 6–जानकी कुमारी, पे0–नरेश सिंह उर्फ रामनरेश सिंह सभी साकिन–रामदौली, थाना–बिदुपुर जिला–वैशाली।
अभियुक्तगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता	1. श्री अरविन्द कुमार सिंह

अपराध की घटना तिथि	06.02.2010–07.02.2010
प्राथमिकी की तिथि	24.02.2010
आरोप पत्र की तिथि	31.03.2010
संज्ञान की तिथि	26.06.2015
आरोप गठन की तिथि	23.04.2018
साक्ष्य प्रारंभ होने की तिथि	22.05.2018
निर्णय पर नियत की तिथि	16.05.2026

निर्णय की तिथि	05.06.2026
दण्डादेश की तिथि, यदि हो तो	-------

परिशिष्ट : बी

अभियुक्त का विवरण:–

अभियुक्त का क्रमांक	A-1
अभियुक्त का नाम	उमा शंकर कुमार सिंह
गिरफ्तारी / आत्मसमर्पण की तिथि	19.07.2017
जमानत पर मुक्त की तिथि	19.07.2017
आरोप गठन की धारा	भारतीय दण्ड संहिता की धारा–376, 380 / 34, 323 / 34, 504 / 34
दोषमुक्त या दोषसिद्व	दोषमुक्त
दण्डादेश	------
विचारण के दौरान द0प्र0सं0 की धारा–428 के उपबंधों के अंतर्गत कारा में बितायी गई निरोध की अवधि	00 महीना 00 दिन

अभियुक्त का क्रमांक	A-2
अभियुक्त का नाम	हरे राम सिंह
गिरफ्तारी / आत्मसमर्पण की तिथि	03.04.2010
जमानत पर मुक्त की तिथि	03.04.2010
आरोप गठन की धारा	भारतीय दण्ड संहिता की धारा–376, 380 / 34, 323 / 34, 504 / 34
दोषमुक्त या दोषसिद्व	दोषमुक्त
दण्डादेश	------
विचारण के दौरान द0प्र0सं0 की धारा–428 के उपबंधों के अंतर्गत कारा में बितायी गई निरोध की अवधि	00 महीना 00 दिन

अभियुक्त का क्रमांक	A-3
अभियुक्त का नाम	नरेश सिंह उर्फ रामनरेश सिंह
गिरफ्तारी / आत्मसमर्पण की तिथि	03.04.2010
जमानत पर मुक्त की तिथि	03.04.2010
आरोप गठन की धारा	भारतीय दण्ड संहिता की धारा–376, 380 / 34, 323 / 34, 504 / 34
दोषमुक्त या दोषसिद्व	दोषमुक्त
दण्डादेश	------
विचारण के दौरान द0प्र0सं0 की धारा–428 के उपबंधों के अंतर्गत कारा में बितायी गई निरोध की अवधि	00 महीना 00 दिन

Web Copy not Official

अभियुक्त का क्रमांक	A-4
अभियुक्त का नाम	शांति देवी
गिरफ्तारी / आत्मसमर्पण की तिथि	03.04.2010
जमानत पर मुक्त की तिथि	03.04.2010
आरोप गठन की धारा	भारतीय दण्ड संहिता की धारा–376, 380 / 34, 323 / 34, 504 / 34
दोषमुक्त या दोषसिद्व	दोषमुक्त
दण्डादेश	------
विचारण के दौरान द0प्र0सं0 की धारा–428 के उपबंधों के अंतर्गत कारा में बितायी गई निरोध की अवधि	00 महीना 00 दिन

अभियुक्त का क्रमांक	A-5
अभियुक्त का नाम	बेबी देवी
गिरफ्तारी / आत्मसमर्पण की तिथि	03.04.2010
जमानत पर मुक्त की तिथि	03.04.2010
आरोप गठन की धारा	भारतीय दण्ड संहिता की धारा–376, 380 / 34, 323 / 34, 504 / 34
दोषमुक्त या दोषसिद्व	दोषमुक्त
दण्डादेश	------
विचारण के दौरान द0प्र0सं0 की धारा–428 के उपबंधों के अंतर्गत कारा में बितायी गई निरोध की अवधि	00 महीना 00 दिन

अभियुक्त का क्रमांक	A-6
अभियुक्त का नाम	जानकी देवी
गिरफ्तारी / आत्मसमर्पण की तिथि	03.04.2010
जमानत पर मुक्त की तिथि	03.04.2010
आरोप गठन की धारा	भारतीय दण्ड संहिता की धारा–376, 380 / 34, 323 / 34, 504 / 34
दोषमुक्त या दोषसिद्व	दोषमुक्त
दण्डादेश	------
विचारण के दौरान द0प्र0सं0 की धारा–428 के उपबंधों के अंतर्गत कारा में बितायी गई निरोध की अवधि	00 महीना 00 दिन

अभियोजन / बचाव पक्ष / न्यायालय साक्षीगण की सूची

क–अभियोजन

रैंक	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, मेडिकल साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)

पी0डब्लू0–01	.....	.....

ख–बचाव पक्ष साक्षीगण

रैंक	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, मेडिकल साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
Nil	Nil	Nil

ग–न्यायालय साक्षीगण

रैंक	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, मेडिकल साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
Nil	Nil	Nil

Web Copy not Official

अभियोजन / बचाव पक्ष / न्यायालय प्रदर्श की सूची

क–अभियोजन

क्रमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण
01	प्रदर्श–01	.....

ख–बचाव पक्ष

क्रमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण
Nil	Nil	Nil

ग–न्यायालय प्रदर्श

क्रमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण
Nil	Nil	Nil

घ–वस्तु प्रदर्श

क्रमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण
Nil	Nil	Nil

उपस्थित : मनोज कुमार तिवारी,
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम–सह–विशेष न्यायाधीश
हाजीपुर, वैशाली।

आदेश अंतर्गत धारा–232

1. उपरोक्त नामित 06 अभियुक्तों का विचारण भारतीय दण्ड संहिता की धारा–376, 380 / 34, 323 / 34, 504 / 34 के अंतर्गत किया गया है।

2. परिवादी का संक्षिप्त मामला है कि, परिवादी विधवा महिला है। परिवादी घटना दिनांक–06.02.2010 को अपने घर से दीपक जलाकर सोयी हुई थी कि करीब 11:00 बजे रात्रि में अपने बदन पर किसी को चढ़ने के आभास पर नींद खुली तो दीपक रोशनी में देखी कि अभियुक्त सं0–01 उमा शंकर सिंह, परिवादी के बदन पर चढ़ा हुआ है तथा बगल में छुरा रखे हुए हैं। छुरा का भय दिखाकर तथा परिवादी का मुंह चाप कर जबरदस्ती कपड़ा हटाकर परिवादी के योनि में अपना लिंग डालकर करीब 05 मिनट तक बलात्कार किया तथा जान मार देने की धमकी देकर भागने लगा, तब परिवादी चिल्लाने लगी तो अनेक व्यक्ति आ गये तथा अभियुक्त उमा शंकर सिंह को भागते हुए देंखे। अभियुक्त एवं परिवादी का घर बिल्कुल पास ही है। दिनांक–07.02.2010 को जब परिवादी स्थानीय बिदुपुर थाना में उक्त घटना की रिपोर्ट दर्ज कराने जा रही थी कि एकाएक अभियुक्त सं0–02 से लेकर अभियुक्त सं0–06 तक परिवादी के घर में प्रवेश कर गये तथा परिवादी को भद्दी–भद्दी गाली देने लगे तथा लात–मुक्का से मारपीट करने लगे तथा कहने लगे कि तुम मुकदमा करोगी, इतना तुम्हारा मन बढ़ गया है, जाओ थाना में तुम्हारा मुकदमा दर्ज नहीं होगा। अभियुक्त सं0–02 हरेराम सिंह जाते समय परिवादी के स्टील का बक्सा जिसमें परिवादी का कीमती कपड़ा, सोना का सिकड़ी, मंगटीका, कंगन, कान का झुमका एवं नकद दो हजार रुपया कुल मिलाकर करीब 70,000 / –रु0 का सामान ले गये। इस घटना के पूर्व भी अभियुक्त उमाशंकर सिंह ने परिवादी से बलात्कार करने का प्रयास किया, जब परिवादी अभियुक्त के घर पर कहने गयी तो अभियुक्त के घर वालों यानी यहीं सभी मुदालह परिवादी के साथ मारपीट किये थे। परिवादी अपनी प्रतिष्ठा व लोक लज्जा के कारण बलात्कार के प्रयास की घटना को छुपाकर इन्हीं अभियुक्तों के विरूद्ध बिदुपुर थाना में बिदुपुर थाना कांड सं0–364 / 2009 दिनांक–13.11.2009 को दर्ज करायी हुई है। परिवादी के सभी गवाह अनुसंधानकर्ता एवं पर्यवेक्षणकर्त्ता पुलिस पदाधिकारी के विरूद्ध बयान देने को पूर्णतः तैयार है, लेकिन

अनुसंधानकर्ता पुलिस पदाधिकारी परिवादी के गवाहों का बयान ले ही नहीं रहे हैं और गवाहों का बयान कांड दैनिकी में सही–सही अंकित नहीं कर रहे हैं। अनुसंधानकर्ता एवं पर्यवेक्षणकर्ता पुलिस पदाधिकारी का व्यवहार परिवादी एवं उनके गवाहों के प्रति क्रूर व तीखा है। इस वाद के अभियुक्त नरेश सिंह पुलिस बल में कार्यरत है तथा धनवान व राजनैतिक पहुंच वाला व्यक्ति है।

3. परिवादिनी मीरा देवी की ओर से तत्कालिन मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, वैशाली हाजीपुर के यहां परिवाद पत्र दाखिल किया गया, जिसे पंजीकृत करते हुए तत्कालिन मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, वैशाली हाजीपुर द्वारा परिवाद पत्र की छायाप्रति को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा–156(3) के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज करने हेतु थाना प्रभारी बिदुपुर को प्रेषित किया गया, जिस आदेश के आलोक में प्रस्तुत प्राथमिकी बिदुपुर थाना कांड सं0–41 / 2010, दिनांक–24.02.2010, भारतीय दण्ड संहिता की धारा–323, 376, 380, 452, 504 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज किया गया। अनुसंधानक द्वारा घटना को असत्य पाते हुए आरोप पत्र सं0–66 / 2010 दिनांक–31.03.2010 समर्पित किया गया है। परिवादी की ओर से विरोध–पत्र–सह परिवाद पत्र दाखिल किया गया, जिसे परिणामस्वरूप अंतिम प्रतिवेदन स्वीकृत किया गया तथा विरोध–पत्र को परिवाद पत्र मानते हुए वाद को धारा–192 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत जांच एवं निष्पादन हेतु श्री राजीव रंजन सिंह, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, वैशाली हाजीपुर के न्यायालय में स्थानान्तरित किया गया।

4. तत्कालिन न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, हाजीपुर वैशाली के द्वारा दिनांक–26.06.2015 को अभियुक्त उमा शंकर सिंह के विरूद्ध धारा–376 भा0दं0वि0 के अंतर्गत संज्ञान लिया गया साथ अभियुक्त उमा शंकर सिंह एवं अन्य अभियुक्तगण हरे राम सिंह, नरेश सिंह उर्फ रामनरेश सिंह, शांति देवी, बेबी देवी एवं जानकी कुमारी के विरूद्ध धारा–323, 380, 504 / 34 के अंतर्गत संज्ञान लिया गया तथा दिनांक–17.03.2018 को यह मामला विचारणार्थ सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर के न्यायालय में दौरा सुपुर्द किया गया है।

5. विचारित 06 अभियुक्तों के विरूद्व दिनांक–23.04.2018 को भारतीय दण्ड संहिता की धारा–376, 380 / 34, 323 / 34, 504 / 34 में आरोप का गठन कर उन्हें हिन्दी में पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया जिसका वह प्रत्याख्यान करते हुये विचारण का दावा किया।

6. अभियोजन की तरफ से इस मामले में किसी भी साक्षी का साक्ष्य न्यायालय में नहीं कराया गया हैं।

7. अभियोजन की तरफ से प्रस्तुत विलेखिय दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

8. अभियोजन साक्ष्य बंद कर 06 अभियुक्तगण का बयान दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–313 के अंतर्गत दिनांक–05.06.2026 को लिया गया, जिसमें वह अपने को निर्दोष बताते हुये कहा है कि अभियोजन का मामला झूठा है।

9. प्रतिरक्षा की तरफ से इस मामले में कोई मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

Web Copy not Official

10. अब न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन विचारित 06 अभियुक्तों के विरूद्व लगाये गये आरोपों को युक्ति–युक्ति संदेह से परे साबित करने में सफल हुआ है या नहीं ?

निष्कर्ष

11. अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि प्राथमिकी के आधार पर अनुसंधानकर्ता ने मामले को असत्य पाते हुए अंतिम प्रपत्र प्रस्तुत किया था। इसके पश्चात् प्रोटेस्ट आवेदन के आधार पर मामले को परिवाद के रूप में चलाया गया और जिसमें कि आरोप पूर्व साक्षियों का साक्ष्य कराया गया, परन्तु आरोप निर्माण के पश्चात् कोई भी साक्षी सारी प्रक्रिया के बावजूद उपस्थित नहीं हुआ। चूंकि मामला परिवाद पर ही दर्ज किया गया था। अतः यह भी नहीं कहा जा सकता है कि परिवादी को मामले की सूचना नहीं थी। ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने परिवाद के संबंध में कोई साक्ष्य देना ही नहीं चाहता है। इसी कारण वह कभी भी साक्ष्य के लिए उपस्थित नहीं हुआ। जबकि परिवाद वर्ष 2012 में ही दर्ज करायी गयी है। अतः अभियुक्तगण को दोष–मुक्त किया जाता है।

आदेश

12. अतः अभियुक्तगण : **01. उमाशंकर सिंह,** पे0–नरेश सिंह उर्फ रामनरेश सिंह, **02. हरेराम सिंह,** पे0–नरेश सिंह उर्फ रामनरेश सिंह, **03. नरेश सिंह उर्फ रामनरेश सिंह,** पे0–स्व0 अलख नारायण सिंह, **04. शांति देवी,** पे0–स्व0 अलख नारायण सिंह, **05.**

बेबी देवी, पे0–नरेश सिंह एवं **06. जानकी कुमारी,** पे0–नरेश सिंह, सभी साकिन–रामदौली, थाना–बिदुपुर, जिला–वैशाली को उनपर लगाए गए भारतीय दण्ड संहिता की **धारा–376, 380/34, 323/34, 504/34** से उन्हें निर्दोष पाकर दोष मुक्त किया जाता है दोषमुक्त अभियुक्तों एवं उनके जमानतदारों को बंध–पत्र के दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

(लेखापित एवं शुद्धिकृत) लेखापित

(**मनोज कुमार तिवारी**)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम
–सह–विशेष न्यायाधीश
हाजीपुर, वैशाली।
05.06.2026

(**मनोज कुमार तिवारी**)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम
–सह–विशेष न्यायाधीश
हाजीपुर, वैशाली।
05.06.2026

Web copy not Official

Date of Judgment/Order	05-06-2026
Date of Reserving Judgment/Order	16-05-2026
Uploading Date	12-06-2026
Uploaded by	Anand Kumar, Stenographer Vaishali at Hajipur

Web Copy not Official